–: राजस्थान सरकार:–

## न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

(जीसीएमएस नं0 2022/59)

मु0नं0–03/2022

उनवान –सरकार बनाम रतीराम (दूध विकेता) पुत्र जगराम बघेल, निवासी कोटरा,धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

**निर्णय** दिनांक –30.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त रतीराम (दूध विकेता) पुत्र जगराम बघेल, निवासी कोटरा,धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.03.2021 को अभियुक्त/अप्रार्थी दूध विकेताओं की चैंकिंग के दौरान जिला परिषद के पास, धौलपुर निरीक्षण के दौरान मोटर साईकिल आरजे 11 एचएस 5869 को रोक कर पूछताछ की मोटरा साईकिल पर रखी एल्मूनियम की टंकी में स्थित लगभग 30 लीटर मिश्रित दूध को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त मिश्रित दूध को 2 लीटर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी–2086 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/320/एक्ट/2021/497 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया मिश्रित दूध अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश करने से मना किया । अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिश्रित दूध अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिश्रित दूध अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री रतीराम (दूध विकेता) पुत्र जगराम बघेल, निवासी कोटरा,धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 31,000/–रुपये ( इक्कतीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ब्रह्मलाल जाट )
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner